UPSR010008152026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– दिनेश चन्द, **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06538**

जमानत आवेदन नं०-336/2026

भूरे उर्फ भूरे लाल उम्र 35 वर्ष पुत्र मुंशी लाल,

निवासी–ग्राम–गलकटवा, थाना–को0 भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उ0 प्र0 .....अभियोगी

अ0सं0–384/2025
धारा–108, 85, 238 बी0एन0एस0
थाना–को0 भिनगा, जिला–श्रावस्ती

दिनांक 25.05.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1– वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **भूरे उर्फ भूरे लाल** की ओर से अपराध संख्या 384/2025, धारा 108, 85, 238 बी0एन0एस0, थाना को0 भिनगा, जिला श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः–वादिनी मुकदमा सावित्री देवी ने प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती को दिनांक 11.08.2025 को इस आशय की तहरीर दिया कि उसकी छोटी बहन इन्द्रावती देवी उर्फ सुनीता देवी की शादी आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व भूरे पुत्र मुंशी लाल निवासी ग्राम गलकटवा थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती के साथ हुई थी। उसकी बहन के दो बच्चे क्रमशः चिन्टू उम्र 04 वर्ष व दूसरे पिन्टू उम्र 02 वर्ष है। शादी के बाद से ही उसकी बहन का पति आये दिन उसकी बहन को मारता पीटता रहता था जिसके सम्बन्ध में उसकी बहन ने उन लोगों को कई बार बताया था। दिनांक 30.05.2025 को उसकी बहन के पति से उसकी बहन का विवाद हुआ जिसके कारण उसकी बहन ने परेशान होकर आत्महत्या कर लिया जिसके बाद उसके पति ने उसका अन्तिम संस्कार करने लगा जब उन लोगों को सूचना हुई तब वे लोग आये तथा उसकी बहन के शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम कराये। उसकी बहन ने उसके पति द्वारा परेशान करने के बाद आत्महत्या कर लिया है। उन लोगों ने अज्ञानतावश मुकदमा नहीं लिखवाया। आज वे लोग सूचना

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.05.25 15:52:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

देने आये हैं। अतः विपक्षी भूरे पुत्र मुंशी लाल सा0 गलकटवा थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर उचित कार्यवाही करने की याचना की गयी।

उक्त तहरीर के आधार पर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 108 बी0एन0एस0 में पंजीकृत हुई। मामले की विवेचना लम्बित है।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा केस डायरी व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क देते हुए कहा गया कि अभियोजन पक्ष का कथानक गलत एवं असत्य तथ्यों पर आधारित है। मृतका के पिता ने अपने जीवनकाल में मृतका व उसके पति के सेवा सत्कार करने के कारण व दवा इलाज परवरिश करते रहने के कारण अपनी खेती की जमीन का दानपत्र दिनांक 04.01.2024 को मृतका के पक्ष में कर दिया था जिससे उसके तीन भाई व बहने नाराज रहने लगी और दबाव देने लगे कि दान पत्र की भूमि का बराबर–बराबर हिस्सों में बांटने की बात कहने लगे। यह भी तर्क दिया गया कि मृतका का अन्तिम संस्कार उसकी बहनों व रिश्तदारों की मौजूदगी में हो रहा था परन्तु बाद में यह मुकदमा ढाई महीने बाद गलत दर्ज कराया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक/अभियुक्त दिनांक 09.03.2026 से जेल में है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी।

5– इसके विपरीत विद्वान डी0 जी0 सी0 फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त इस मामले का मुख्य अभियुक्त है। चूँकि वह मृतका का पति है और मृतका को प्रताड़ित किया गया जिस कारण मृतका ने आत्महत्या की। आवेदक/अभियुक्त ही मृतका की लाश को बिना मृतका के परिवार वालों को सूचना दिये जला रहा था जिसके सम्बन्ध में पंचनामा वादी पक्ष की मौजूदगी में किया गया और पोस्टमार्टम की कार्यवाही हुई। यह भी तर्क दिया गया कि मामला गम्भीर प्रकृति का है। जमानत खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6– यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतका व आवेदक/अभियुक्त की शादी को 10 वर्ष हो चुके हैं। इस बीच कोई भी दहेज की मॉग अथवा दहेज की मॉग के लिए कोई शिकायत कभी नहीं की गयी। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि मृतका के पिता ने मृतका के पक्ष में अपनी कृषि भूमि का दानपत्र दिनांक 04.01.2024 को किया जिसका कारण वादी पक्ष व मृतका के बीच विवाद रहने लगा। यहॉ यह कहना महत्वपूर्ण होगा कि वादी पक्ष को अन्तिम संस्कार के समय यह पता लग गया था कि मृतका को प्रताड़ित किया गया

जिसके कारण उसने आत्महत्या की तब उनके द्वारा जानकारी के बाद अर्थात् दिनांक 30.05.2025 को ही मुकदमा क्यों नहीं लिखाया गया और उसके ढाई महीना बाद दिनांक 11.08.2025 को लिखाया गया। देरी का कोई पर्याप्त व संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। पंचनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई क्योंकि उसकी अधजली लाश चिता से उठाकर पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गयी है। डाक्टर की राय में भी मृत्यु का कारण निश्चित नहीं हो सका। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 09.03.2026 से जेल में है, आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त जमानत पाने का अधिकारी है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **भूरे उर्फ भूरे लाल** का जमानत आवेदन निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किया जाता हैः–

(i)– यह कि आवेदक/अभियुक्त अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

(ii)– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(iii)– यह कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा एक लाख की दो जमानतें व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 25.05.2026